

657
16/06/08

गणतंत्रिय उपनिर्वाहकाली वरलक्षणा। हल्ले आशिया
01/05/08 भावक कासं-132/07-08 भावक/कासं का
सेवा संलगात भावक 00 30 संलगात एका- 1432000-01
शाम -रुक्म पणाल (पुलने) नवनी/000 (पुलने) गणतंत्र-
निर्वाहक कासं 01/05/08

गणतंत्रिय उपनिर्वाहकाली वरलक्षणा। हल्ले आशिया
01/05/08 भावक कासं-132/07-08 भावक/कासं का
सेवा संलगात भावक 00 30 संलगात एका- 1432000-01
शाम -रुक्म पणाल (पुलने) नवनी/000 (पुलने) गणतंत्र-
निर्वाहक कासं 01/05/08



संयुक्त या विवेचनीय कार्य, लखनऊ

657
16/06/18

का.सं- 172/07-08
मानव विकास एवं सेवा संस्थान
बनारस (उत्तराखण्ड)
घाट-143 जी.एस.एल.एल.एल.एल.एल.
घाट-मदकुर, बनारस-विश्वीय
संस्थान के शिक्षण संयोजक।

निर्णय

संयुक्त या विवेचनीय कार्य, लखनऊ एवं सेवा संस्थान द्वारा जारी की गई विवेचनीय रिपोर्ट
पुनः जांच के लिए निम्नलिखित- 201 विवेचनीय, लखनऊ एवं सेवा संस्थान के प्राचार्य-पदा
दिनांक 27.03.08 के अन्तर्गत पर अन्तर्गत घाट-143 जी.एस.एल.एल.एल.एल.एल.एल.एल.एल.एल.एल.एल.
द्वारा जारी यह रिपोर्ट में बताया कि घाटों की संख्या के नाम मुनि सं. 880 एवं 881 संख्या 8.722222
का संख्या 8.722222 व घाट सं. 881 संख्या 8.127777 विवेचन घाट मदकुर (उत्तराखण्ड)
में दर्ज अज्ञात है। तथा मुनि सं. मुनि कार्य न होकर संयुक्त संयोजक अज्ञात एवं
संयुक्त संयोजक में हो रहा है। तथा मुनि के अज्ञात-मान संयुक्त संयोजक व अज्ञात
संयोजक आदि बने हैं। अतः यह रिपोर्ट मुनि के बारे में यह मुनि कार्य नहीं हो रहा है।
तथा मुनि का यह संयुक्त संयोजक मुनि के अज्ञात/अज्ञात संयोजक हेतु प्रेषित
किताबों में यह मुनि नो अज्ञात है।

तथा प्राचीन या नव-संयुक्त संयोजक, लखनऊ में अज्ञात कार्य की नवी।
संयुक्त संयोजक संयोजक ने अपनी अज्ञात दिनांक 01.08.08 में यह रिपोर्ट है कि घाट
सं. 880 संख्या 8.142222, 881 संख्या 8.722222 व घाट सं. 881 संख्या 8.127777
संयुक्त संयोजक मदकुर (उत्तराखण्ड) की संख्या के नाम वही संयुक्त संयोजक मुनि सं. 880 है।
तथा संयुक्त संयोजक में निम्नलिखित घाट सं. 880 में शामिल नहीं है तथा संयुक्त संयोजक
में है। अज्ञात संयोजक संयुक्त संयोजक में हो रहा है। मुनि का मुनि कार्य नहीं किया
जा रहा है। तथा वही घाट संयुक्त संयोजक की संख्या-143 के अज्ञात अज्ञात/अज्ञात
संयोजक प्रेषित किताबें घाटें हेतु निर्देश संयुक्त संयुक्त संयोजक अज्ञात है।



65 / 10/06/08

कार्य दर्ज अधिनियम के प्रावधानों पर कृषक/राज्यी एवं कर्षाज/राज्यी सरकारी कर्मियों के सम्बन्ध में विधियां आदेशों के अन्तर्गत किया गया और जमीन की मरिचक बंधन की विधियां पूर्ववत् पुनः किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्पन्न करने में नहीं किया जा रहा है। यद्यपि पर भूमि का उपयोग के अन्तर्गत होने से कारण उक्त भूमि को कृषि के अन्तर्गत घोषित करने में कोई विधिक बाधा नहीं है।


आदेश


जमा एच 880 परका 0.122800, जमा राजकी 0.7222800 व माटा एच 881 परका 0.122800 जिला राम नरसुर, पल्लम-विधानी तालुका व जिला-राजमन्म को कृषि प्रयोग के अन्तर्गत भूमि (कृषि) घोषित किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत-प्रथम से आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर, राजमन्म की व आदेश की एक प्रति राय निरन्तर, राजमन्म को भेजी जाय। कार्य आदेशक कर्मियों को भवित्त प्रेषित करण हो।




 (राज्यी सिद्ध)
 उप जिलाधिकारी, सदर,
 राजमन्म।

अनुसूचित आदेश कार्य दिनांक 10-5-2008 को भी द्वारा समाप्तित, दिनांकित एवं पुनः न्यायालय में उपस्थित किया गया।


 (राज्यी सिद्ध)
 उप जिलाधिकारी, सदर,
 राजमन्म।



जमा राजका-रा की की मिति: 10/06/08
 जमा राजकी राजकी की मिति: 10/06/08
 जमा राजकी राजकी की मिति: 10/06/08
 राजकाय कुल: 12.50
 राजकी की मिति: 

राजकी राजकी: 
 राजकी राजकी: 
 दिनांक: 10/06/08

प्रमाणित प्रतिलिपि
 दिनांक 13/6/08
 उप जिलाधिकारी, राजमन्म
 (उप) राजमन्म।